दिनांक ..... — रीडर

12/2/25 — श्री भगवानदास पुत्र स्व. बद्री प्रसाद उपस्थित हुए। श्री बद्री प्रसाद की ओर से वकील उपस्थित आया। वादी के वकील उपस्थित नहीं। बहस सुनने पर बाबत आदेश दिनांक नियत की जाती है। वादी पक्ष की ओर से वकील उपस्थित नहीं। अतः संक्षिप्त वादी का वाद खारिज होकर प्रतिवादी के पक्ष में सशर्त डिक्री पास की जाती है कि वादी, प्रतिवादी को रु. 5,000/- हर्जाना अदा करे। प्रतिवादी अपना हर्जाना अदा करे।

कलक्टर (फास्टट्रेक)
सुल्तानपुर (स्वरूपला-तिगाड़ा)

दिनांक 12/12/23

12/12/23 को पत्रावली पेश हुई, आज श्री [illegible]

के संबंधित मूल पत्र की प्रति व आज

तैरवी में स्थानांतरित हो जाने से संबंधित अब इस

प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा इसलिए

DO पत्र शेष RTA भी आज तिथि व आज

दायरी में स्थानांतरित पत्रावली पत्रावली फाइल

शुमार की जा रही है, अब पत्रावली

फाइनल हेतु पेश है।

सहायक कलक्टर (फास्ट्रे०)
मुख्यालय (खैरथल-तिजारा)